न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 08/2020 – निगरानी

1. पोखर पिता मोरा रेगर बनाम निवासी परासोली तहसील आसीन्द
2. जौधाराम पिता दूदाराम रेगर निवासी परासोली
3. किशना पिता मांगू रेगर निवासी पारासोली तहसील आसीन्द

–निगराकार

1. सांवरिया लाल पिता बालुराम कुम्हार निवासी नई परासोली तहसील आसीन्द
2. सरपंच ग्राम पंचायत परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. सचिव ग्राम पंचायत परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. राजकुमार पिता सोहनलाल मारू निवासी परासोली तहसील आसीन्द

– गैर निगराकार

निगरानी आवेदन पत्र अंन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संसोधित अधिनियम 1994 बाबत् ग्राम पंचायत परासोली द्वारा दिनांक 05.09.2019 को जारी पटटे को निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता –गैर निगराकार संख्या 01 व 05 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.12.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र मे है जो कि रेगर समाज के पंचायती नोहरा के रूप में रेगर समाज द्वारा विगत 50 वर्षो से उपयोग – उपभोग में लिया जा रहा हैं। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नई परासोली की आबादी क्षैत्र में रेगर समाज के नोहरा की भूमि साईज 60 बाई 40 का पटटा पुराना मौरूसी पैतृक मकान मानते हुये पटटा जारी कर दिया गया, जबकि मौके पर मकान का नामो निशान तक नही हैं। वर्तमान में भी मकान का कोई निर्माण नहीं हैं ऐसी स्थिति में उक्त पटटा दिनांक 05.09.2019 को विधि एवं तथ्यों के विपरीत जारी किया है जो निरस्त होने लायक हैं। उक्त प्रकरण में एक ही दिन में प्रस्ताव लेकर पटटा जारी कर दिया गया जो कि अवैध होकर त्रुटिपूर्ण हैं। उक्त पटटा जारी करने से पूर्व कोई पत्रावली संधारित नही की गयी व न ही मौका पर्चा बनाया गया। उक्त

नक्शा आबादी भूमि में, आक्षेप आमंत्रित सूचना पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र पटटा शुल्क रसीद सभी दस्तावेज पंचायती राज नियमों के अनुसार संलग्न हैं। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। इस प्रकार निगराकार का कथन कि पत्रावली संधारित नही होकर नियमों की अवहेलना की गयी, निराधार सिद्ध होता हैं।

निगराकार ने निगरानी मेमों मे कथन किया कि प्रश्नगत पटटे पर रेगर समाज का वर्षों से कब्जा हैं। किन्तु निगराकार ने ऐसा कोई पुष्ट साक्ष्य /दस्तावेज प्रस्तुत नही किया हैं, जिससे जाहिर हो सके कि प्रश्नगत पटटा भूखण्ड पर रेगर समाज का कभी कोई कब्जा रहा हो।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा मिसल पत्रावली की प्रमाणितशुदा प्रति पेश करने पर, मिसल पत्रावली सही अथवा गलत होने के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेजात निगराकार द्वारा पेश नही किये गये एवं न ही मिसल पत्रावली के खण्डन मे कोई अन्य तथ्य व्यक्त किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 322/2016–17 दिनांक 09.05.2016 के जरिये पटटा संख्या 15 दिनांकित 05.09.2019 तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत परासोली द्वारा मिसल संख्या 322/2016–17 दिनांकित 09.05.2016 के जरिये पटटा संख्या 15 दिनांकित 05.09.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा